

## Article 1 to 395 Hindi

- अनुच्छेद 1 :- संघ कानाम और राज्य क्षेत्र
- अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
- अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन की शक्ति
- अनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन एवं दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
- अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
- अनुच्छेद 6 :- पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
- अनुच्छेद 7 :- पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता के अधिकार
- अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता
- अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का समाप्त होना
- अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
- अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना
- अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा
- अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
- अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता
- अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
- अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
- अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत
- अनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
- अनुच्छेद 21 :- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 21 क :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद 22 :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण
- अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम (बंधुआ मजदूरी)

- अनुच्छेद 24 :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत (बालश्रम)
- अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 26 :- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
- अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
- अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
- अनुच्छेद 33 :- बल आदि को संसद द्वारा उपांतरित करने की शक्ति
- अनुच्छेद 34 :- प्रदत्त अधिकारों का निर्बन्धन
- अनुच्छेद 35 :- इस भाग के नियम को लागू करने के प्रवधान
- अनुच्छेद 36 :- परिभाषा
- अनुच्छेद 37 :- इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना
- अनुच्छेद 38 :- राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना
- अनुच्छेद 39 :- राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व
- अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन
- अनुच्छेद 41 :- काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
- अनुच्छेद 44 :- नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता
- अनुच्छेद 45 :- बालकों को निःशुल्क व अविवार्य शिक्षा
- अनुच्छेद 47 :- लोक स्वास्थ्य का सुधार तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का राज्य का कर्तव्य
- अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन
- अनुच्छेद 48 क :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण
- अनुच्छेद 49 :- राष्ट्रीय स्मारक स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण
- अनुच्छेद 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
- अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
- अनुच्छेद 51 क :- मूल कर्तव्य ( भाग 4-क)
- अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति

- अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 54 :- भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
- अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि
- अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
- अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं
- अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
- अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति का शपथ (CJI द्वारा)
- अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
- अनुच्छेद 63 :- भारत का एक उपराष्ट्रपति
- अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
- अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
- अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि
- अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
- अनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
- अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता के समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
- अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित तथा संसक्त विषय
- अनुच्छेद 72 :- क्षमादान की शक्ति, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन
- अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
- अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन
- अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
- अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी (Attorney General Of India)
- अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
- अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य

- अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन
- अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की संरचना
- अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना
- अनुच्छेद 83 :- संसद के दोनों सदनों की अवधि
- अनुच्छेद 84 :- संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
- अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
- अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
- अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी के अधिकार
- अनुच्छेद 89 :- राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाना
- अनुच्छेद 91 :- सभापति के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति
- अनुच्छेद 92 :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है
- अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
- अनुच्छेद 95 :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
- अनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना
- अनुच्छेद 97 :- सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 98 :- संसद का सचिवालय
- अनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 100 :- संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
- अनुच्छेद 108 :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना
- अनुच्छेद 109 :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 110 :- "धन विधायक" की परिभाषा
- अनुच्छेद 111 :- विधेयकों पर अनुमति
- अनुच्छेद 112 :- वार्षिक वित्तीय विवरण

- अनुच्छेद 118 :- प्रक्रिया के नियम
- अनुच्छेद 120 :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- अनुच्छेद 123 :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति
- अनुच्छेद 124 :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
- अनुच्छेद 125 :- न्यायाधीशों का वेतन
- अनुच्छेद 126 :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति
- अनुच्छेद 127 :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 128 :- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
- अनुच्छेद 129 :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना
- अनुच्छेद 130 :- उच्चतम न्यायालय का स्थान
- अनुच्छेद 131 :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
- अनुच्छेद 137 :- निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन
- अनुच्छेद 143 :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- अनुच्छेद 144 :- सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता
- अनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
- अनुच्छेद 149 :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया
- अनुच्छेद 150 :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
- अनुच्छेद 151 :- संपरीक्षा प्रतिवेदन
- अनुच्छेद 151 :- परिभाषा
- अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपाल
- अनुच्छेद 154 :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति
- अनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधि
- अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
- अनुच्छेद 158 :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
- अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद

- अनुच्छेद 164 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
- अनुच्छेद 165 :- राज्य का महाधिवक्ता
- अनुच्छेद 166 :- राज्य सरकार का संचालन
- अनुच्छेद 167 :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य
- अनुच्छेद 168 :- राज्य के विधान मंडल का गठन
- अनुच्छेद 170 :- विधानसभाओं की संरचना
- अनुच्छेद 171 :- विधान परिषद की संरचना
- अनुच्छेद 172 :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी
- अनुच्छेद 176 :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
- अनुच्छेद 177 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
- अनुच्छेद 178 :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 179 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 180 :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
- अनुच्छेद 181 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन न होना
- अनुच्छेद 182 :- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 183 :- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 184 :- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति
- अनुच्छेद 186 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 187 :- राज्य के विधान मंडल का सविचाल.
- अनुच्छेद 188 :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 189 :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति
- अनुच्छेद 198 :- धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 199 :- धन विधेयक की परिभाषा
- अनुच्छेद 200 :- विधायकों पर अनुमति

- अनुच्छेद 201 :- विचार के लिए आरक्षित विधेयक
- अनुच्छेद 202 :- वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुच्छेद 203 :- विनियोग विधेयक
- अनुच्छेद 202 :- अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
- अनुच्छेद 213 :- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
- अनुच्छेद 214 :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
- अनुच्छेद 215 :- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
- अनुच्छेद 216 :- उच्च न्यायालय का गठन
- अनुच्छेद 217 :- उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
- अनुच्छेद 221 :- न्यायाधीशों का वेतन
- अनुच्छेद 222 :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण
- अनुच्छेद 223 :- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
- अनुच्छेद 224 :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 226 :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
- अनुच्छेद 231 :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
- अनुच्छेद 233 :- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 237 :- कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना
- अनुच्छेद 238 :- निरसित
- अनुच्छेद 239 :- संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
- अनुच्छेद 240 :- कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
- अनुच्छेद 241 :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
- अनुच्छेद 242 :- निरसित
- अनुच्छेद 243 :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
- अनुच्छेद 244 :- अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
- अनुच्छेद 245 :- संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करना

- अनुच्छेद 247 :- कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना
- अनुच्छेद 248 :- अवशिष्ट विधायी शक्तियां
- अनुच्छेद 252 :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
- अनुच्छेद 254 :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
- अनुच्छेद 256 :- राज्यों की और संघ की बाध्यता
- अनुच्छेद 257 :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
- अनुच्छेद 262 :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
- अनुच्छेद 263 :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
- अनुच्छेद 264 :- निर्वचन
- अनुच्छेद 266 :- संचित निधी
- अनुच्छेद 267 :- आकस्मिकता निधि
- अनुच्छेद 269 :- संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर
- अनुच्छेद 270 :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
- अनुच्छेद 277 :- व्यावृत्ति
- अनुच्छेद 278 :- निरसित
- अनुच्छेद 279 :- शुद्ध आगम आदि की गणना
- अनुच्छेद 280 :- वित्त आयोग
- अनुच्छेद 281 :- वित्त आयोग की सिफारिशे
- अनुच्छेद 292 :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना
- अनुच्छेद 293 :- राज्य द्वारा उधार लेना
- अनुच्छेद 300 :- वाद और कार्यवाहियां
- अनुच्छेद 300 क :- संपत्ति का अधिकार
- अनुच्छेद 301 :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता



- अनुच्छेद 302 :- व्यापार, वाणिज्य और सभागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति
- अनुच्छेद 307 :- अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति
- अनुच्छेद 308 :- निर्वचन
- अनुच्छेद 309 :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
- अनुच्छेद 310 :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
- अनुच्छेद 313 :- संक्रमण कालीन उपबंध
- अनुच्छेद 315 :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
- अनुच्छेद 316 :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
- अनुच्छेद 317 :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
- अनुच्छेद 320 :- लोकसेवा आयोग के कृत्य
- अनुच्छेद 322 :- लोक सेवा आयोगों के व्यय
- अनुच्छेद 323 क :- प्रशासनिक अधिकरण
- अनुच्छेद 323 ख :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण
- अनुच्छेद 324 :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
- अनुच्छेद 325 :- धर्म मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद न करना
- अनुच्छेद 326 :- लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना
- अनुच्छेद 329 :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
- अनुच्छेद 330 :- लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानों का आरणण
- अनुच्छेद 331 :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 332 :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

- अनुच्छेद 333 :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 340 :- पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
- अनुच्छेद 341 :- अनुसूचित जातियां
- अनुच्छेद 342 :- अनुसूचित जनजातियां
- अनुच्छेद 343 :- संघ की राजभाषा (हिंदी)
- अनुच्छेद 344 :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
- अनुच्छेद 344 :- राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं
- अनुच्छेद 350 क :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
- अनुच्छेद 351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
- अनुच्छेद 352 :- आपात की उदघोषणा – राष्ट्रिय आपातकाल
- अनुच्छेद 356 :- राष्ट्रपति शासन राज्यों में
- अनुच्छेद 360 :- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
- अनुच्छेद 361 :- राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण
- अनुच्छेद 362 :- निरसित
- अनुच्छेद 363 :- कुच संविदों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
- अनुच्छेद 368 :- संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति व उसकी प्रक्रिया
- अनुच्छेद 369 :- राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने को संसद
- अनुच्छेद 370 :- जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
- अनुच्छेद 377 :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
- अनुच्छेद 378 :- लोक सेवा आयोग के बारे
- अनुच्छेद 392 :- कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- अनुच्छेद 393 :- संक्षिप्त नाम
- अनुच्छेद 394 :- प्रारंभ
- अनुच्छेद 394-क :- हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ

**Visit : [360Marathi.in](http://360Marathi.in) For More**